कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निररारण प्रमण्डल, एकंगरराराय।
(Email ID. eefcddekangarsarai@gmail.com, Mobile No.7463889580)

पत्रांक ____________/एकंगरसराय, दिनांक

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु
अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026-27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, एकंगरसराय अन्तर्गत आकस्मिक कार्य/उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इत्यादि के देख–रेख एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े पर पांच अदद (बोलेरो/सुमो/स्कॉरपिओ समकक्ष) चालक सहित के वित्तीय वर्ष 2026–2027 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/ फर्म से निम्नरूपेण अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, जिला नालन्दा नजारत शाखा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर (सभी कर सहित) या इससे कम दर मान्य होगा।

जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	अभियुक्ति
01	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, एकंगरसराय	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027	01	
02	सहायक अभियंता हेतु वार्षिक उपयोग के लिए	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027	02	
03	सहायक अभियंता हेतु बाढ़ अवधि में उपयोग के लिए	01.06.2026 से 31.10.2026	02	

1. कोटेशनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांकः– 09.04.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनांकः– 18.04.2026 को अपराह्न् 03:00 बजे तक
4. कोटेशन जमा करने का स्थान :– बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय।
5. कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– 18.04.2026 को अपराह्न् 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में।

नियम एवं शर्तेः–

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित करना आवश्यक है।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0एस0टी0, PAN कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. क्र0 सं0 01 एवं क्र0 सं0 02 में उल्लेखित भाड़े पर वाहन एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक एवं क्र0 सं0 03 में उल्लेखित 01.06.2026 से 31.10.2026 तक के लिए लिया जायेगा।
4. वाहन का मॉडल 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
5. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
6. नियामानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

Scanned with CamScanner

7. वाहन के कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
8. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
9. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
10. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मासिक किराया ईंधन रहित देय होगा।
11. वाहन का उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन चालक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
12. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, जिला नालन्दा नजारत शाखा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रू0 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताए एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकता/आवंटन के अनुरूप भाड़े के निरीक्षण वाहनों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
13. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेश प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
14. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क /किराया देय नहीं होगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूतिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगें।
16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन भाड़े का भुगतान दो गुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
17. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
18. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
19. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।
20. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन उपयोग के विरूद्ध निर्णित मासिक दर से ईंधन रहित भुगतान होगा।
21. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले ईंधन अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो, मान्य होगा।
22. आवश्यतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहाँ रह भी सकता है जिसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
23. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित एवं चालक सहित मासिक भाड़ा

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 04 से 23 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर पर कोटशन प्राप्त हाने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

sd/-
कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल,
एकंगरसराय।

पत्रांक 508 / एकंगरसराय, दिनांक 09/04/2026

प्रतिलिपिः- सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

09/04/2026
कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल,
एकंगरसराय।

09/04/2026 9/4/26

Scanned with CamScanner